जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोट सराहनीय कार्य 31.08.20

72 घण्टें के अन्दर फरार अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.08.20 को मु0अ0सं0 2236/17 धारा 147/148/323/306/504/506 भादवि व 3(2) (V) SC/ST ACT थाना रामचन्द्र मिशन में वांछित अभियुक्त चंदू उर्फ चांद मियां द्वारा मा0न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था तथा कोरोना पॉजिटिव होने पर उक्त अभियुक्त को जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया था। परन्तु दिनांक 28.08.20 को उक्त कोरोना पॉजिटिव अभियुक्त चंदू उर्फ चांद मियां पुत्र राहतअली निवासी तारीन गाड़ीपुरा थाना रामचंद्र मिशन शाहजहाँपुर जिला अस्पताल से फरार हो गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

श्री एस. आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन मे 04 पुलिस टीमें गठित कर फरार अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए।

पुलिस टीमों द्वारा तत्काल अपने मुखबिरों को अलर्ट कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी पतारसी की गयी तथा संभावित जगहों पर दबिश दी जाने लगी। इसी क्रम में आज दिनांक 31.08.20 SOG पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त अभियुक्त को तिलहर के पास से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए वैधानिक कार्रवाई कर अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कडी हिदायत देकर पुलिसबल को व्यवस्थापित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-चन्दू उर्फ चांद मिंया पुत्र राहत अली नि0 तारीनगाडीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर